



481 AS

# रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

## पंजीयन प्रमाणपत्र

### पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP179092022A11202494
पंजीकरण की तिथि	02/12/2022
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	02/12/2022
संपत्ति का मूल्य (यदि लागू है)	929280
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	945000
पंजीयन शुल्क (रुपये)	27879
कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये)	60735
उप पंजीयक का नाम	CHANCHAL JAIN
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर

### खरीदार- स्वयं


नाम	चेतना ग्रोवर
पिता/पति का नाम	अंशुल ग्रोवर
पता	155, भक्त प्रहलाद नगर, बालाजी विहार, इन्दौर म.प्र. 452002, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत
नाम	अंशुल ग्रोवर
पिता/पति का नाम	विरेंद्र ग्रोवर
पता	155, भक्त प्रहलाद नगर, बालाजी विहार, इन्दौर म.प्र. 452002, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

### विक्रेता - स्वयं

संगठन का नाम	ओयस्टर बिल्डिंग इंडिया प्रा.लि.
अधिकृत व्यक्ति का नाम	योगेश गढवाल
पता	201, स्टारलिट टॉवर, 29, व्हाय.एन.रोड, इन्दौर (म.प्र.), इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed  
by CHANCHAL  
KUMAR JAIN  
Date: 2022.12.02  
14:38:09 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

//श्री//

ग्राम पंचायत क्षेत्र बिहाडिया तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) के अन्तर्गत "ग्रीन फील्ड टाउन (GREEN FIELD TOWN)" में स्थित भूखण्ड क्रमांक 155 का विक्रय- लेख

ओयस्टर बिल्डिंग इडिया प्रा.लि. (PAN No. AABCO2386H)

पता 201, स्टारलिट टॉवर, 29, व्हाय.एन.रोड, इन्दौर (म.प्र.)

तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता - श्री योगेश गढवाल पिता स्व. श्री गुलाब सिंह गढवाल, निवासी-137/250, बडी ग्वाल टोली गीताभवन मंदिर श्री राम मंदिर के पास, इन्दौर (म.प्र.)

विक्रेतापक्ष

जिन्हे इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से विक्रेतापक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, प्रशासक, असायनीज, मुखत्यार एवं क्रेतापक्ष के अन्तर्गत हित, अधिकार व दावा रखने वाले समस्त हितबद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित है।)

1. श्रीमती चेतना गोवर पति श्री अंशुल गोवर, (PAN No.- DGPPS4262G)

2. श्री अंशुल गोवर पिता श्री विरेन्द्र गोवर, (PAN No.- AZXPG7483P)

निवासी-155, भक प्रहलाद नगर, बालाजी विहार, इन्दौर म.प्र. 452002


-----क्रेतापक्ष

जिन्हे इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से क्रेतापक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें उनके उत्तराधिकार, प्रतिनिधि, प्रशासक, असायनीज, मुखत्यार एवं क्रेतापक्ष के अन्तर्गत हित, अधिकार व दावा रखने वाले समस्त हितबद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित है।)

विक्रेतापक्ष यह विक्रय-लेख क्रेतापक्ष के हित में निम्न शर्तों एवं दायित्वों के अधीन निम्नानुसार निष्पादित कर देते हैं कि:-

- यह कि, विक्रेतापक्ष की भूमि स्वामी, स्वत्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम बिहाडिया (प.ह.नं. 28 नया 62) तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) के सर्वे नंबर 79/1, रकबा 1.719 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 80 रकबा 1.509 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 79/2 रकबा 1.078 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 81 पैकि रकबा 1.364 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 82/1/1 रकबा 0.591 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 81 पैकि रकबा 2.100 हेक्टर इस प्रकार कुल सर्वे नं. 06 का कुल संयुक्त रकबा 8.361 हेक्टर की स्थित है। उक्त वर्णित भूमि विक्रेतापक्ष ने जरिये दो अलग-अलग ई-पंजीकृत विक्रय-पत्र क्रमांक MP179092015A1152559 दिनांक 06/11/2015 एवं ई-पंजीकृत विक्रय-पत्र क्रमांक MP179092018A1250215 दिनांक 12/04/2018 के जरिये 1. श्रीमती गीता बाई पति स्व. श्री उमराव सिंह जी राठौर, 2. श्री जसवंत सिंह पिता स्व. श्री उमराव सिंह जी राठौर, 3. श्री राम सिंह उर्फ रामलाल पिता स्व. श्री उमराव सिंह जी राठौर 4. श्री श्याम सिंह उर्फ श्यामलाल पिता स्व. श्री उमराव सिंह जी राठौर, 5. श्रीमती कमला बाई पति स्व. श्री राजेश राठौर, 6. श्री विक्रम पिता स्व. श्री राजेश राठौर, 7. श्री पंकज पिता स्व. श्री राजेश राठौर सभी निवासी - ग्राम तिल्लौर खुर्द तहसील व

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





# रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

जिला इन्दौर (म.प्र.) से क्रय की हुई है। उक्त वर्णित भूमि विक्रेतापक्ष की स्वतंत्र मालकी व कब्जे की होकर रेवेन्यू रेकार्ड में विक्रेतापक्ष के नाम पर दर्ज है। विक्रेतापक्ष की भू-अधिकार ऋण-पुस्तिका एल क्रमांक आईएन 26282 एवं एल क्रमांक आईएन 018739 है।

इस प्रकार विक्रेतापक्ष ने उपरोक्त वर्णित सर्वे क्रमांकों की भूमियों को पंजीकृत विक्रयपत्रों के जरिये क्रय की होकर विक्रेतापक्ष सदर भूमि के स्वतंत्र मालिक, स्वामी, अधिपति, आधिपत्यधारी, कब्जेधारी है एवं सदर भूमि रेवेन्यू रेकार्ड व अन्य रेकार्ड में विक्रेतापक्ष के नाम पर मालिक स्वामी अधिपति नाते से दर्ज है। उक्त विक्रयपत्रों के जरिये क्रय की गई भूमि जिनका कुल संयुक्त रकबा 8.361 हेक्टर भूमि पर कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर द्वारा स्वीकृत अभिन्यास के उपरोक्त वर्णित भूमि पर विक्रेतापक्ष द्वारा निम्न वर्णित सभी कानूनी कार्यवाही पूर्ण कर वैध रूप से आवासीय कालोनी "ग्रीन फील्ड टाउन (GREEN FIELD TOWN)" का निर्माण किया जा रहा है।

2. कालोनी हेतु विक्रेतापक्ष ने निम्नानुसार अनुमति व स्वीकृति प्राप्त की हुई है।

(ए) कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा उपरोक्त वर्णित सर्वे नंबरों की भूमि पर आवासीय कालोनी विकसित किए जाने हेतु अपनी अनापत्ति प्रदान की गई होकर कालोनी का अभिन्यास मेमो क्रमांक 10845/एस.पी./ एम-170/18/ नगानि/2018 इन्दौर दिनांक 29/12/2018 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(बी) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व इन्दौर (अनुभाग बिचौली हप्सी) (प्रशासनिक संकुल कक्ष क्रमांक-3) द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अ-2/18-19 में पारित आदेश दिनांक 18/02/2019 के द्वारा उपरोक्त वर्णित सर्वे नंबरों की भूमि पर आवासीय कॉलोनी निर्माण हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन आदेश पारित किया हुआ है।


(सी) कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर से म.प्र. पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद द्वारा ग्राम बिहाडिया तहसील भिचौली हप्सी जिला इन्दौर में कॉलोनी विकास अनुज्ञा क्रमांक- 57/अ.क.री./2020 दिनांक 19/11/2020 प्र.क्र. 15/अ-74/2020-21 के अनुसार कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (लायसेंस) दिनांक 13/08/2019, रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 55/2019, प्र.क्र. 83/बी-121/2019-20 के जरिये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के उपबन्धों के अधीन प्रदान किया गया है।

(डी) सदर कॉलोनी के संबंध में भू- सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) जारी किया गया पंजीकरण संख्या पी-आईएनडी-20-2820 एपुड दिनांक 14/12/2020 है।

(3) यह कि, उपरोक्तानुसार विक्रेतापक्ष द्वारा उपरोक्त वर्णित सर्वे क्रमांकों की भूमि के संबंध में कालोनी की संपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यवाही पूर्ण करके वैध आवासीय कॉलोनी "ग्रीन फील्ड टाउन (GREEN FIELD TOWN)" का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार विक्रेतापक्ष द्वारा उक्त कॉलोनी के निम्न वर्णित भूखण्ड का विक्रय क्रेतापक्ष को किया जा रहा है।

(4) ग्राम बिहाडिया तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) के उपरोक्त वर्णित सर्वे क्रमांकों की भूमि पर विधिवत अनुमतियाँ प्राप्त कर विकसित की जा रही आवासीय कॉलोनी "ग्रीन फील्ड टाउन (GREEN FIELD TOWN)" का आवासीय भूखण्ड क्रमांक 155 विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को विक्रय किया है। विक्रीत भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1.28 वर्गमीटर याने 1377.78 वर्गफीट है। इस भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





## रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

कार्य किया हुआ नहीं है। यह भूखण्ड आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है। इस भूखण्ड के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था सामने की दिशा में स्थित कालोनी के रोड से होकर है।

बिक्रीत भूखण्ड की चर्तुसीमा निम्नानुसार है -  
पूर्व में - कालोनी की रोड  
पश्चिम में - भूखण्ड क्रमांक 100  
उत्तर में - कालोनी की रोड  
दक्षिण में - भूखण्ड क्रमांक 154

(5) यह कि, उक्त चरण क्रमांक 4 में वर्णित एवं चर्तुसीमा के मध्य का तथा विवरण का भूखण्ड विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष को कुल रूपये 9,45,000/- (अक्षरी रूपये नौ लाख पैतालीस हजार मात्र) में विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण धनराशि रूपये 9,45,000/- (अक्षरी रूपये नौ लाख पैतालीस हजार मात्र) विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से निम्नानुसार प्राप्त कर ली है।

रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) चेक नंबर 000004 दिनांक 18/01/2019 को कोटक महिन्द्रा बैंक के जरिये प्राप्त।

रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) दिनांक 10/08/2020 को ICICI Bank से NEFT-002049461564 के जरिये प्राप्त।

रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) दिनांक 11/01/2021 को ICICI Bank से NEFT-999330095160 के जरिये प्राप्त।

रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) दिनांक 08/04/2021 को ICICI Bank से NEFT के जरिये प्राप्त।

रूपये 5,99,000/- (अक्षरी रूपये पांच लाख निन्यानवे हजार मात्र) में से रूपये 5,45,000/- (अक्षरी रूपये पांच लाख पैतालीस हजार मात्र) दिनांक 01/08/2022 को ICICI Bank से NEFT-000457698743 के जरिये प्राप्त।

कुल रूपये - रूपये 9,45,000/- (अक्षरी रूपये नौ लाख पैतालीस हजार मात्र)

उक्त प्राप्त की गई राशि में यदि किसी प्रकार की राशि पोस्ट डेटेड चेक द्वारा दी गई है तो उक्त चेक सिकरने पर ही प्रतिफल की प्राप्ति विक्रेतापक्ष को मान्य होगी और एक भी चेक अनादरित हो जाने की स्थिति में यह विक्रयपत्र प्रभावशून्य मान्य होगा एवं विक्रेतापक्ष को अधिकार होगा कि, जो भी चेक अनादरित होता है, उसकी सम्पूर्ण राशि और विक्रयपत्र के निरस्तीकरण का वाद व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत कर विक्रयपत्र को निरस्त करवा लें अथवा प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि मय हर्जे-खर्चे के सहित क्रेतापक्ष से वसूल कर लें। इसमें लगने वाली सम्पूर्ण राशि क्रेतापक्ष से वसूल कर लेने का अधिकार विक्रेतापक्ष को रहेगा। प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि की प्राप्ति के उपरांत ही क्रेतापक्ष को मालिक नाते से कब्जा सुपुर्द किया जावेगा। प्रतिफल की राशि की प्राप्ति तक सिम्बालिक रूप से कब्जा दिया जाना तय किया गया है, फिजिकल पजेशन विक्रेतापक्ष द्वारा क्रेतापक्ष को मौके पर नपती करके सुपुर्द किया जावेगा। इस विक्रयपत्र के पंजीयन के समय उप-पंजीयक

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





## रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

के समक्ष कोई राशि लेना अथवा चेक लेना बकाया नहीं रहा है।

6. यह कि, उपरोक्त वर्णन तथा चतुसीमा के मध्य की सदर संपत्ति को आगे से पीछे तक विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को विक्रय किया है। इस पंजीयन के पूर्व क्रेतापक्ष ने व्यक्तिगत रूप से मौके पर जाकर विक्रीत भूखण्ड के सीमाकन के संबंध में संतुष्टि कर ली है व खाली हालत में मूर्तिमत आधिपत्य, कब्जा सर्वविदित रूप से विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को सुपुर्द कर दिया है। कब्जा मिलना क्रेतापक्ष की स्वीकार है और आज दिन से अपने भूखण्ड की पूर्ण सुरक्षा क्रेतापक्ष स्वयं करेंगे। विक्रेतापक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

7. यह कि, सदर भूखण्ड विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को विक्रय कर दिया होने से अब क्रेतापक्ष ग्राम पंचायत या डायवर्शन विभाग (रेवेन्यु विभाग) में अपना नाम अंकित कर सकेंगे तथा वहां के जो भी कर (टेक्स) अथवा अन्य जो भी राशि देय होगी, वह विक्रय पत्र पंजीयन के पश्चात क्रेतापक्ष को ही देना होगी। विक्रय पत्र पंजीयन से पूर्व के समस्त कर, टेक्स विक्रेतापक्ष द्वारा जमा किये जावेंगे। भविष्य में भी विक्रेतापक्ष के हस्ताक्षर की आवश्यकता हुई तो विक्रेतापक्ष पूर्ण सहयोग करेंगे। विक्रेतापक्ष ने संपूर्ण कॉलोनी का चालू वर्ष का डायवर्शन टेक्स व पंचायत उपकर जमा कराया हुआ है जो कि भविष्य में प्रत्येक भूखण्ड का भूखण्ड धारक द्वारा स्वयं जमा किया जाता रहेगा।


8. यह कि, सदर भूखण्ड के संबंध में विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या संस्था से कोई व्यवहार जैसे गिरवी, बिक्री, लीज, दान नहीं किया है एवं उस पर कोई भार या स्वत्व न होकर पूर्ण रूपेण भार मुक्त है तथा उक्त भूखण्ड क्रेता को भूमि स्वामी हक सहित अंतरित किया है। बिक्रीत भूखण्ड को अनुविभागीय अधिकारी महोदय इन्दौर के कार्यालय में बंधक रखा हुआ भी नहीं है। हर प्रकार से विक्रय योग्य है। उक्त भूखण्ड में से अन्य किसी का कोई रास्ता या ईसमेंट राईट नहीं है।

9. यह कि, कॉलोनी के सभी भूखण्ड धारकों द्वारा मेन्टेनेंस समिति बनाकर कॉलोनी का मेन्टेनेंस किया जायेगा। कॉलोनी के मेन्टेनेंस हेतु विक्रेतापक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। क्रेतापक्ष भूखण्ड धारक को मेन्टेनेंस समिति का सदस्य बनना अनिवार्य होगा और प्रतिवर्ष का मेन्टेनेंस सोसायटी द्वारा जो निर्धारित किया जायेगा उसे जमा करना भूखण्ड धारक के लिये आवश्यक होगा। भवन निर्माण या भूखण्ड हस्तांतरण के पूर्व विक्रेतापक्ष से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, साथ ही शासन, स्वयत्त शासी निकायों के द्वारा भी समय-समय पर जो नियम लागू किये जावेंगे वे भी क्रेतापक्ष पर लागू, बंधनकारी एवं मान्य रहेंगे। मेन्टेनेंस राशि समय-समय पर पुनः निर्धारित की जा सकेगी, यदि मेन्टेनेंस सोसायटी द्वारा सामूहिक उपयोग के लिये उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं पर व्यय किया जाता है तो ऐसे व्यय को भी क्रेतापक्ष से लेने का अधिकार मेन्टेनेंस सोसायटी को रहेगा। मेन्टेनेंस सोसायटी के सभी नियम व शर्तें क्रेतापक्ष को मान्य होगी।

10. यह कि, क्रेतापक्ष सदस्य द्वारा कॉलोनी में अपने भूखण्ड पर भवन का निर्माण म.प्र. शासन द्वारा लागू किये गये कानून व नियमों के अनुसार ही किया जावेगा। प्रत्येक भूखण्ड धारक को अपने भवन निर्माण के साथ भवन के सामने की ओर भूखण्ड के अंदर बगीचा लगाना व उसमें पेड़ लगाना भी आवश्यक होगा। भवन में पास नक्शे अनुसार खुला पैसेज (एम.ओ.एस.) छोड़ना भी आवश्यक रहेगा।

11. यह कि, क्रेतापक्ष द्वारा अपने भवन निर्माण के पूर्व ग्राम पंचायत व अन्य शासकीय विभाग से स्वयं के व्यय से नक्शा स्वीकृत करवाकर भवन निर्माण करवाया जायेगा। विक्रेतापक्ष द्वारा कॉलोनी में पानी सप्लाय हेतु बोरिंग करवाया है, जिससे सभी भूखण्ड धारक समान रूप से पानी प्राप्त करेंगे। विक्रेतापक्ष के पास उक्त बोरिंग के अलावा पेयजल का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है, यह बात क्रेतापक्ष ने भलीभांति समझ ली है

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश


19. हम इस विक्रय-विलेख के निष्पादकगण शपथपूर्वक कथन करते हैं कि इस विलेख के अंतर्गत अंतरित की जा रही/समाविष्ट संपत्ति को हमने या हमारे प्रतिनिधि या समानुदेशिनी या हमारे अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा किसी अन्य के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा या अन्य प्रकार से पूर्व में हस्तांतरित नहीं किया गया है और तदुसार हम उपर्युक्त पैरा में कथित तथ्य का अपनी जानकारी एवं विश्वास से सही हैं, एवं भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में धारा 22 (क) में अंतः स्थापित भाग - 3 का उल्लंघन नहीं है सत्यापित करते हैं।

20. यह कि, विक्रेता ओयस्टर बिल्डिंग इंडिया प्रा.लि. द्वारा बोर्ड मिटिंग दिनांक 04/07/2022 को पारित रेजोल्यूशन नंबर (BM/002/22-23) द्वारा श्री योगेश गढवाल पिता स्व. श्री गुलाब सिंह गढवाल को सदर विक्रय पत्र के निष्पादन व पंजीयन करने हेतु अधिकृत किया होकर इन्होंने विक्रेता कंपनी की ओर से यह विक्रय विलेख अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर पंजीयत कराया है।

सम्बोधन विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष में एतद द्वारा उनके वारिस, उत्तराधिकारी, दायित्वधारी, स्वत्व गृहिता, हितग्राही, उत्तरजीवी, समानुदेशित, असाईनी, नामिनी, स्थानापन्न, स्वत्वार्पण प्राप्त कर्तागण, प्रबंधक, व्यवस्था कर्तागण एवं वैध प्रतिनिधि आदि का समावेश है और यह विक्रयपत्र व इसकी समस्त शर्तें उन पर भी समान रूप से बंधनकारी रहेगी व इनके अधिकार व लाभ भी समान रूप से प्राप्त रहेंगे।

उपरोक्तानुसार उक्त विक्रीत भूखण्ड के विक्रय लेख का निष्पादन क्रेतापक्ष की पूर्ण सहमति से उनके हित में विक्रेतापक्ष ने निम्न साक्षीगणों के समक्ष आज दिनांक को अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर दिया है, सौ सनद रहे एवं आवश्यकतानुसार काम आवें। क्रेतापक्ष ने भी इस विक्रयपत्र में लिखी सभी बातों व शर्तों को अच्छी तरह पढ़कर, सुनकर, सही लिखा होना स्वीकार करके बगैर किसी दबाव के, स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर किये हैं। गवाहो ने निष्पादन के समय निष्पादकगण के समक्ष निष्पादन की गवाह की है। उक्त विलेख का प्रारूप पं. श्रीकान्त शर्मा, एडवोकेट, के द्वारा तैयार कराया गया है, सभी जानकारी, दस्तावेज का प्रारूप, पहचानपत्र आदि हम उभयपक्षों द्वारा जांच पुष्टि कर सर्विस प्रोवाइडर से अपलोड कराये गए है, जो अपलोड कराया गया है वह भी हम उभयपक्षों द्वारा जांच, पुष्टि कर, पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ही सम्पदा में सुरक्षित करवाकर स्लाट प्राप्त किया गया है। पक्षकारो द्वारा दी गई जानकारी अनुसार ही यह विक्रयपत्र तैयार किया गया है। इस विलेख में वर्णित सम्पत्ति एवं पक्षकारो का प्रारूपकर्ता एडवोकेट एवं सर्विस प्रोवाइडर का कोई सरोकार नहीं है।

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS








रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
 मध्य प्रदेश

**Property Details Annexure**

Property Id	1797202208142027						
Property Type	PLOT						
Property Landmark :	--						
Property Address :	भूखण्ड क्रमांक 155 "ग्रीन फील्ड टाउन (GREEN FIELD TOWN)" ग्राम बिहाडिया तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)						
Vikas Khand (development block) :	--						
R. I. Circle :	--						
Layout Details :	--						
Nazool/Sheet No :	--						
Plot Number :	--						
<b>Khasra Details and Four Boundary Details</b>							
Khasra Number	Khasra Area	Lagaan	Rin Pustika	East	West	North	South
भूखण्ड-क्रमांक-155	128	0	0	कालोनी की रोड	भूखण्ड क्रमांक 100	कालोनी की रोड	भूखण्ड क्रमांक 154

District	INDORE
Tehsil	INDORE
Area Type	RURAL AREA
Sub-Area Type :	NON-PLANNING AREA
Patwari Halka/Village :	PATWARI HALKA NO. 62
Village/Mohalla/Colony :	GREEN FIELD TOWN (BIHADIYA)
Total Area of Plot (sqm)	128
Residential Area out of Total Area (sqm)	128
Commercial Area out of Total Area (sqm)	--
Industrial Area out of Total Area (sqm)	--
Educational Units area approved by Nagar and Gram Nivesh Vibhag out of Total Area (sqm)	--
Whether Educational Units layout is passed by	--
Health Services area approved by Nagar and Gram Nivesh Vibhag out of Total Area (sqm)	--

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
 MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
 P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS  
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS  
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS  
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS  
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS  
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS  
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS  
REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS

Whether Health Services layout is passed by T&CP ?	--
Area for Other usage out of Total Area (sqm)	--
Is the plot being used for Residential Cum Commercial purpose only?	No

Applicable Sub-Clauses on the Property

WHETHER PLOT IS A CORNER PLOT - YES

TOTAL DUTY AND EXEMPTION

Exempted Duty	0.0	Exempted Reg Fee	0.0
Total Payable Duty(INR)	60735.0		
Total Payable Registration fee(INR)	27879.0		
Consideration Amount(INR)	945000		

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS  
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS

